कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 9168 /14–1 दिनांक : आगरा 27-10- अगस्त 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय : जनपद आगरा में आगरा–भरतपुर मार्ग एन0एच0–11 (नया एन0एच0–21) के कि0मी0 42 (चैनेज 41.293) पर ग्राम चौमा, शाहपुर के खसरा संख्या–651 की बॉयी पटरी पर रिलायंस बी0पी0 मोबिलिटी लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.1790312 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/135/2020/एफ0सी0/971 दिनांक 19.10.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा शर्तों का निम्न प्रकार अनुपालन कर लिया गया है जो संस्तुति सहित आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क0सं0	भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	Legal Status of the forest land shall remain unchanged	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 180 trees in (Mahdau Forest Block, Kirawali Range, Vikas khand Fatehpur Sikri District-Agra) at the post of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. Revised CA scheme for plantation of 180 plants shall be submitted.	संशोधित प्राक्कलन संलग्न है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता द्वारा शर्त के अनुपालन में 180 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित **धनराशि रू0 313310.00 यू.टी.आर. नं0–एस.बी.आई.एन.420297313424 दिनांक 23.10.2020** द्वारा ई–पोर्टल के माध्यम से निर्गत चालान द्वारा जमा करा दी गयी है। चालान एवं बैंक हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न है।
4.	The state government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.1790312 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	प्रयोक्ता द्वारा शर्त के अनुपालन में एन.पी.वी. की **धनराशि रू0 112074.00 यू.टी.आर. नं0–एस.बी.आई.एन.420297313424 दिनांक 23.10.2020** द्वारा ई–पोर्टल के माध्यम से निर्गत चालान द्वारा जमा करा दी गयी है। चालान एवं बैंक हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न है।
5.	Additional amount of The NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the user agency. The user agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।

6.	Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।
7.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	शर्त का अनुपालन किया गया है।
8.	The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned district Collector.	संलग्न हें
9.	User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।
10.	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।
11.	No Violation of FCA Certificate from concerned DFO shall be provided.	संलग्न है।
12.	Certificate of DFO certificate that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24.07.2013 has to be provided.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।
13.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।
14.	The Period of diversion shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency of the project life, whichever is less.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।
15.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	शर्त का अनुपालन किया गया है।
16.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।

भवदीय

(राकेश चन्द्र)
वन संरक्षक / प्रभारी प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि अधिकृत अधिकारी, रिलायंस बीपी मोबिलिटी लि0 रिलायंस हाउस द्वितीय तल बिल्डिंग नं0–4 गुरुग्राम को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(राकेश चन्द्र)
वन संरक्षक / प्रभारी प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

Letter No. Dated-

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जिला आगरा

विषयः– जनपद आगरा में आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11(न्यू एन. एच. –21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट–लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– पत्रांक संख्या–8 बी/यू पी/06/135/2020/एफ सी/971 दिनांक 19–10–2020

महोदय,

संदर्भित पत्र, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के द्वारा वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है तथा आपके साथ–साथ रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड को पृष्ठांकित है का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

इस सन्दर्भ में प्रस्तावक की अनुपालन मदवार निम्नवत है।

S.N.	Condition	Compliance
1	The legal status of the land remain unchanged	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक–1)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest deprtment for plantation of 180 tree in (Village Mahadu forest Block Kirawali Range ,Vikaskhand fatehpur Sikari,District Agra)at the cost of the user agency .As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of species has to be avoided .Revised CA scheme for plantation of 180 plants shall be submitted	इस मद में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन सम्बन्धित विभाग से अपेक्षित है।
3	The cost of compensatory afforestation in the prevailing wage rates as per revised compensatory afforestation scheme for plantation of 180 plants and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	शर्त के अनुपालन मेंप्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु मांगी गयी धनराशि रु. 313310.00 (तीन लाख तेरह हजार तीन सौ दस मात्र) (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में ई–पोर्टल से उत्पन्न चालान द्वारा जमा किया गया है। Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक–3)

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R.K Four
DLF Cyber City, 2nd Floor
Gurugram - 122002 (Haryana)

4	The State Government shall be charge the Net Present Value (NPV) for the 0.1790312 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/ 1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard	प्रस्ताव विभाग द्वारा मा0उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि 6,26,000–की दर से 0.1790312×626000=112074.00 (एक लाख बारह हजार चौहत्तर मात्र), ई–पोर्टल से उत्पन्न चालान द्वारा जमा किया गया है। Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–4)
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त के अनुपालन में मे वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक–5)
6	Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक–6)
7	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *e-portal (https://parivesh.nic.in).*	शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारामांगी गयी धनराशि ई–पोर्टल से उत्पन्न चालान द्वारा जमा किया गया है।(संलग्नक–7)
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–8)
9	User agency shall use the land between entry and exit of for plantation and conservation of tree, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	शर्त के अनुपालन मे वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–9)
10	Plantation shall also be done along the inside boundary of fuel Station	शर्त के अनुपालन मे वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–10)
11	No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided .	शर्त के अनुपालन मे प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–11)
12	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines date 24.07.2013 has to be provided	शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–12)

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram, 122002 (Haryana)

13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–13)
14	Period of diversion shall be co-terminus with period of lease to be granted in favor of user agency or the project life, whichever is less.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–14)
15	The compliance report shall be uploaded on ***e-portal*** (https://parivesh.nic.in/).	शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–15)
16	Any other condition that the ministry of enviorment Forest and climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation,protection and development of forest and wild life .	शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–16)

अतः महोदय से आग्रह है कि संदर्भित पत्र के अनुपालन कि आख्या आपके समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय

कृते रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

संलग्नक–1

शर्त संख्या 1 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 1 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है कि रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन. एच. –21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट–लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के वैधानिक स्वामित्व में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

प्रति हस्ताक्षरित

(रविकेश चन्द्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

संलग्नक–2

शर्त संख्या 2 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 2 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है कि रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन.एच.–21) कि.मी. 42(चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट–लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के प्रकरण में 180 पौधों के रोपण तथा उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण तथा प्रभागीय निदेशक ,सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा के द्वारा कि मांग के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण कि धनराशि मु. 313310 /– (रु.तीन लाख तेरह हजार तीन सौ दस मात्र)(Compensatory A orresta on Fund and Planing Authority) में ई पोर्टल से उत्पन्न चालान द्वारा जमा किया गया है जिसकी प्रति संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

(रविकेश ठाकुर)
उप प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

संलग्नक –3

शर्त संख्या 3 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 3 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है कि रिलायस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन. एच. –21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट–लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि मु. 313310 (तीन लाख तेरह हजार तीन सो दस मात्र) (Compensatory A orresta on Fund and Planing Authority) में ई – पोर्टल से उत्पन्न चालान द्वारा जमा किया गया है जिसकी प्रति संलग्नक–3 के रूप में संलग्न है। प्रति हस्ताक्षरित

(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभा०
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-10-2020

Agency Name.	RELIANCE BP MOBILITY LIMITED
Application No.	7050244978
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/135/2020
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	RELIANCE BP MOBILITY LTD RELIANCE HOUSE RK FOUR SQUARE DLF CYBER CITY 2ND FLOOR BUILDING NO 4 GURUGRAMGurgaon
Amount(in Rs)	425384/-

Amount in Words: Four Lakh Twenty-Five Thousand Three Hundred and Eighty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150907050244978 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies :
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

प्रति हस्ताक्षरित

SBIN420297313424

(राकेश यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बांदा 23/10

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Approach/50244/2020 PROPOSAL FOR THE DIVERSION OF ROAD SIDE PROTECTED FOREST LAND (0.179032)HAC.) ON AGRA-BHARATPUR ROAD NH-11(NEW NH-21), KM 42 (CH 41.293), KHASRA NO. 651, VILL - CHAUMA SHAHPUR , TEHSEEL KIRAOLI,DIST-AGRA ,FOR THE CONSTRUCTION OF APPROACH ROAD TO PROPOSED RELIANCE BP MOBILITY FUEL STATION RO /PETROL PUMP	APPROACH502442020978	7050244978	19 Oct 2020	CA: 313310/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 112074/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 425384/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 23 Oct 2020 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 23 Oct 2020 Transaction Date: 23 Oct 2020	Demand Letter Generated Challan

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

india.gov.in

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India

संलग्नक –4

शर्त संख्या 4 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 4 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है कि रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन.एच.–21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट–लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि मे एन.पी .वी . के देय धनराशि प्रस्तावक विभाग के द्वारा मा.उच्चतम न्यायलय के रिट पेटिशन संख्या–202/1995 के अंतर्गत आई.ए. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी.दिनांक 05–02–2009 के तहत दिए गए आदेशानुसार शुध्द वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि मु.–626000/–की दर से **0.1790312x626000=112074/–(रु.एक लाख बारह हजार बौहत्तर मात्र)** ई पोर्टल से उत्पन्न चालान द्वारा जमा किया गया है जिसकी प्रति संलग्नक–4 के रूप में संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

(रविकेश चन्द्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

bp

संलग्नक –5

शर्त संख्या 5 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 5 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है कि रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन.एच.–21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट–लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि मे एन.पी.वी. के देय धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा मा. उच्चतम न्यायलय के रिट पेटिशन संख्या–202 /1995 के अंतर्गत आई.ए. – 566 में पारित अंतिम निर्णय के अनुसार यदि एन.पी.वी. की दरों में संशोघन होता है तो उसकी धनराशि नियमानुसार मांग के अनुरूप जमा कराई जाएगी। जिसकी प्रति संलग्नक–5 के रूप में संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

(राकेश चन्द्र)
उप प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

संलग्नक –6

शर्त संख्या 6 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 6 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है कि रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन.एच.–21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 में नवीन रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पंप परिसर में हरियाली विकसित करने की कार्यवाही याचक के द्वारा की जाएगी, जिसकी प्रति संलग्नक–6 के रूप में संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

(रविन्द्र चन्द्र)
अधि. अभियंता निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभा.
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

संलग्नक –7

शर्त संख्या 7 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 7 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है कि रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन.एच.–21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट–लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मांगी गयी धनराशि ई पोर्टल से उत्पन चालान द्वारा ही जमा किया गया है . जिसकी प्रति संलग्नक–7 के रूप में संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

(राकेश चन्द्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभा.
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector
Agra

No Misc/14-1 Date 16-10-2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment & Forest (MoE&F), Govt. of India's letter No.11-09/98-FC (pt) dated 28th October 2014, it is certified that The Project envisages use of forest land for diversion (under FCA-1980) of 0.1790312 ha. of Protected forest land for non – forestry purpose for construction of approach road for entry & exit for proposed Retail outlet by Reliance BP Mobility Ltd. at Km. chainage 41.293 on LHS of NH-11 (New NH-21), Agra-Bharatpur Road at Khasra No. 651, Village Chauma Shahpur Tehsil Kiraoli & District Agra (U.P.)

It is further certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes as per the Census 2001 and the Census 2011. Therefore, "No" rights of Primitive of Tribal groups and Pre-agricultural Communities are being affected.

Divisional Director
Social Forestry Division
Agra

District Social Welfare Officer
Agra
जिला समाज कल्याण अधिकारी
आगरा

District Magistrate
Agra
जिलाधिकारी
आगरा

संलग्नक –9

शर्त संख्या 9 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 9 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है कि रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन.एच.–21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर नवीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पंप के आवागमन के बीच के क्षेत्र में निर्मित की जाने वाली 2 फीट दीवार के खाली क्षेत्र मे छोटे छत्र वाले पौधों का रोपण किया जाएगा ,जिसकी प्रति संलग्नक–9 के रूप में संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

(राकेश चन्द्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभा.
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

संलग्नक –10

शर्त संख्या 10 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 10 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है कि रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन.एच.–21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर नवीन रिटेल आउटलेट /पेट्रोल पंप के परिसर की बॉउंड्री मे उचित ऊचाई के पौधों का वृक्षारोपण का हरियाली को विकसित किया जायेगा , जिसकी प्रति संलग्नक–10 के रूप में संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

(राकेश चन्द्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा.

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

संलग्नक –11

शर्त संख्या 11 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 11 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है कि रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन.एच.–21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर नवीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पंप के स्थापाना के में सम्बन्ध में वांछित प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण के कार्यालय से जारी किया जाना है जिसकी प्रति संलग्नक –11अ के रूप में संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

(राजेश चन्द्र)
प्रभारी प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, H K Four Square
DLF Cyber City, 2nd ... Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

संलग्नक–11अ

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा में आगरा–भरतपुर मार्ग एन.एच.–11(न्यूएन.एच. –21) किमी.42 (चैनेज–41.293) के बायीं पटरी पर खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट–लेट स्थापना हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि पर न्यू रिटेल आउट–लेट स्थापना हेतु आवेदित संरक्षित वनभूमि 0.1790312 हेक्टेयर वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में आवेदित प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/50244/2020 के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया है कि प्रस्तावक के द्वारा मौके पर किसी भी प्रकार से वन (संरक्षण) 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(रविकिरण चन्द्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभा.
आगरा

संलग्नक –12

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा में आगरा–भरतपुर मार्ग एन.एच.–11(न्यूएन.एच. –21) किमी.42 (चैनेज–41.293) के बायीं पटरी पर खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट–लेट स्थापना हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि पर न्यू रिटेल आउट–लेट स्थापना हेतु आवेदित संरक्षित वनभूमि 0.1790312 हेक्टेयर वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में आवेदित प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0 / यू0पी0 / एप्रोच / 50244 / 2020 के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया है कि कि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी प्रावधानों दिनांक 24 / 07 / 2013 के अनुसार प्रस्तावित स्थल के 2 कि.मी. परिधि में अन्य कोई रीटेल आउटलेट / पैट्रोल पम्प संचालित नही है, जिसकी प्रति संलग्नक–12 के रूप में संलग्न है।

(राकेश चन्द्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

संलग्नक –13

शर्त संख्या 13 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 13 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है कि रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन.एच.–21) कि.मी.42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर नवीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पंप के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि का मौके पर चिन्हाकन/बॉउंड्री सम्बन्धी कार्य प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग ,आगरा या उसके द्वारा नामित अधिकार के निर्देशन मे किया गया जायेगा ,जिसकी प्रति संलग्नक–13 के रूप में संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

राकेश चन्द्र
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

संलग्नक –14

शर्त संख्या 14 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 14 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन.एच.–21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर नवीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पंप के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग परियोजना के अंतर्गत उक्त भूमि प्रस्तावक के उपयोग में वनभूमि तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त आवश्यकता रहेगी एवं हस्तांतरित वन भूमि की अविधि याचक को दिए गए पट्टे की अविधि अथवा परियोजना अविधि जो भी कम है के साथ साथ समाप्त की जाएगी। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता नहीं रहेगी जो यथस्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक के लिए आवश्यक न हो ,वन विभाग (उत्तर प्रदेश सरकार) को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथस्थिति वापस प्राप्त हो जाएगी .जिसकी प्रति संलग्नक–14 के रूप में संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

(राकेश चन्द्र)
उप प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

संलग्नक –15

<u>शर्त संख्या 15 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र</u>

शर्त संख्या 15 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन.एच.–21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर नवीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पंप के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0. 1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग परियोजना के अंर्तगत समस्त सूचनाओं को (parivesh.nic.in) ई पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है,जिसकी प्रति संलग्नक –15 के रूप में संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

(राकेश चन्द्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभा०
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

संलग्नक –16

शर्त संख्या 16 के क्रम में वचनबध्दता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 8 के क्रम में यह वचनबध्दता दी जाती है कि रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11 (न्यू एन.एच.–21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट–लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा–समय–समय पर दिये गये निर्देशों /शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हो का अनुपालन प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा , जिसकी प्रति संलग्नक–16 के रूप में संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

(राकेश चन्द्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभा.
आगरा

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)